न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री मनजी पिता गांगा मीणा **बनाम** श्री अम्बालाल पिता गांगा वगैरह

पत्रावली संख्या– 07/2021

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी. सपठित धारा 212 भू.राज.अधि.

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनायें जारी की गई

दिनांक 11.06.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के हिस्से खाते कब्जे काश्त की आराजी मौजा लाडसौर के आराजीयात संवत 2071 से 2074 के खाता नं. 06 नया वो पुराना 03 स्थित है जिसमें वादी का बहिस्सा 1/3 हिस्सा है। जिसमें अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अतिक्रमण करने की चेष्टा नहीं करें, प्रार्थी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, प्रार्थी को काश्त करने से नहीं रोके न ही किसी अन्य को विक्रय करे एवं प्रार्थी के हिस्से में निर्माण कार्य न करें और न ही ऐसा कृत्य करे, जिससे कि प्रार्थीगण के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य ठेकेदार, मजदुर या अपने परिवार के सदस्य से करावें। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गयी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की आराजी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है। ऐसे में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रकरण प्रथमदृष्टया सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविक्षता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किये जाते हैं कि मौजा लाडसौर के आराजीयात संवत 2071 से 2074 के खाता नं. 06 नया व पुराना 03 के खसरा सं. 184, 185, 186, 268, 276, 278, 282, 283, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 313, 329, 330, 331, 332, 334, 347, 361, 362, 493, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 519, 1051, 1193, 1194, 1195, 1196 व 1197 में स्थित प्रार्थी की 1/3 हिस्सा भूमि में मूल वाद के फैसले तक किसी प्रकार से अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें, प्रार्थी को काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, विक्रय अथवा बक्शीश न करें एवं और न ही ऐसा कृत्य, जिससे कि प्रार्थीगण के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे, न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य ठेकेदार, मजदुर या अपने परिवार के सदस्य से करावें। ऐसे में रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner